Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जैसलमेर में जोधपुर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियन्ता 5 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *02 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये किशोर कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, प.व.स. जोधपुर डिस्कॉम–नाचना, जैसलमेर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिये नया मिनी ट्रांसफार्मर इश्यू करने की एवज में किशोर कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, प.व.स. जोधपुर डिस्कॉम–नाचना, जैसलमेर द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जैसलमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये किशोर कुमार पुत्र श्री रतनलाल निवासी ग्राम डेढ़ा, पुलिस थाना खुहड़ी, जिला जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, प.व.स. जोधपुर डिस्कॉम–नाचना, जैसलमेर नाचना जोधपुर डिस्कॉम, जैसलमेर को परिवादी से अपने परिचित के मोबाईल पर जरिये **फोन–पे 5 हजार रुपये की रिश्वत** राशि ट्रांसफर करवाकर स्वीकार करते गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।